

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)
Monday October, 15, 2001/ Ashwin 23, 1923(Saka)

No.168

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from P.S. Parliament Street, New Delhi:-

" I have the honour to inform you that S/Shri Prahlad Singh Sawhney, Mukesh Sharma, Ramesh Kumar, Shish pal Singh, Subhash Chopra, Mahabal Mishra, Tarvinder Singh Marwah, P.C. Kaushik, Arvinder Singh Lovely, Naseeb Singh, Veer Singh and Smt. Anjali Rai, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi were detained at Jantar Mantar, Delhi U/S 65 of Delhi Police Act 1978 for disobeying the lawful direction of Police at 11.10 hrs.on 14.10.2001.

They were released at 11.20 hrs on the same day i.e 14.10.2001."

S.K.SHARMA
SECRETARY

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

॥ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ॥

सोमवार, 15 अक्टूबर, 2001/ आश्विन 23, 1923 ॥ शक ॥

संख्या : 168

सदस्यों की नजरबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को थाना संसद मार्ग, दिल्ली, का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :-

" मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य सर्व श्री प्रहलाद सिंह साहनी, मुकेश शर्मा, रमेश कुमार, शीश पाल, सुभाष चौपड़ा, महाबल मिश्रा, तरविन्द्र सिंह मारवाह, पी.सी. कोशिक, अरविन्दर सिंह लवली, नसीब सिंह, वीर सिंह व श्रीमती अंजलि राय को 14.10.2001 को 11.10 बजे जन्तर मन्तर पर दिल्ली पुलिस के अधिनियम 1978 की धारा-65 के अंतर्गत पुलिस के विधि सम्मत निर्देशों की अज्ञात करने के कारण नजरबन्द किया गया ।

उन्हे वहीं से उसी दिन अर्थात् 14.10.2001 को 11.20 बजे रिहा कर दिया गया ।

एस.के.शर्मा
सचिव